# मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२५

# मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२५

## विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का संशोधन.

४. धारा ६ का संशोधन.

५. धारा ११ का संशोधन.

६. धारा १४ का संशोधन.

७. धारा १६-ग का अंतःस्थापन.

८. धारा २४ का स्थापन.

९. धारा ४६ का संशोधन.

१०. धारा ५३ का संशोधन.

११ धारा ७० का संशोधन

१२. धारा ७७ का संशोधन.

# मध्यप्रदेश विधेयक

## क्रमांक ४ सन् २०२५

# मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२५

**मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,- धारा २ का संशोधन.

"अथवा सोसाइटी अथवा सोसाइटी के उसी वर्ग के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति

(एक) खण्ड (क-दो) में, शब्द "~~सोसाइटी के उसी वर्ग~~" के पश्चात्, शब्द "या सोसाइटी से संबंधित वित्तीय बैंक का कोई अधिकारी" अंतःस्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ग-चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग-पांच) "सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी" से अभिप्रेत है, धारा १६-सी के अधीन सहकारी समिति या समितियों के समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ की गई भागीदारी व्यवस्था;".

(तीन) खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ढ) 'गृह निर्माण सोसाइटी' से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिये भूखण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ और/या यदि भू-खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिए हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख-सुविधाएं और यदि आवश्यक हो, गृह निर्माण वित्त पोषण उपलब्ध कराना.

**स्पष्टीकरण:-** गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्य को सामान्य क्षेत्र की व्यवस्था और सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन गठित संगठन द्वारा किया जाएगा.".

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "बीस" स्थापित किया जाए. धारा ७ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ९ का संशोधन.

"(३) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में तीस दिन तथा समस्त अन्य सोसाइटियों की दशा में पैंतालीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा:

परन्तु जहां रजिस्ट्रार, नियत की गई कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएंगी, रजिस्ट्रार ऐसे मामलों में, सोसाइटी के डीम्ड रजिस्ट्रेशन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आबद्ध होगा.".

धारा ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (३) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परन्तु जहां रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.".

धारा १४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१) जहां किसी सोसाइटी को धारा ९ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है वहां ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है.".

धारा १६-सी का अंतःस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १६-बी के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"**१६-सी. समितियों द्वारा भागीदारी.**- कोई भी सहकारी समिति या समितियों का समूह रजिस्ट्रार की अनुज्ञा से साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा समिति की उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय किसी विशिष्ट व्यवसाय या सेवाओं को चलाने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यवसाय संगठनों के साथ ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसी कि सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में परस्पर सहमत हो, करार कर सकेंगी.".

धारा २४ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"**२४. किसी सदस्य द्वारा अंश-पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन.**- किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य सोसाइटी की कुल अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बावत् ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अधिक होगा.".

धारा ४९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,-

मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (७-ए) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराए जाने की अवधि को आगे बढ़ा सकेगी.".

धारा ५३ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,-

(एक) उपधारा (१) में, विद्यमान प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, प्रशासक की पदावधि को अतिरिक्त कालावधि के लिए आगे बढ़ा सकेगी.".

(दो) उपधारा (१२) में, विद्यमान तृतीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, सोसाइटी के चुनाव करवाने के लिए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगी;".

(तीन) उपधारा (१३) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि रिजर्व बैंक द्वारा, जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किए जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल को हटाने के लिए तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक नई गठित संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.".

११. मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ७० का संशोधन.

"(३) परिसमापन के आदेश की तारीख से सामान्यतया एक वर्ष की कालावधि के भीतर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी और उक्त एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, रजिस्ट्रार कारणों को अभिलिखित करते हुए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगा.".

१२. मूल अधिनियम की धारा ७७ में,- धारा ७७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

(२) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

(दो) उपधारा (३) के खण्ड (बी) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(बी) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा अधिकारी होगा जो सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार या उससे उच्च पद पर हो या रह चुका हो. दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठतः सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो.".

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नही करेगा.".

---

## उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ और विकसित करने, राज्य में सहकारी सोसाइटियों को कारबार के नए अवसर उपलब्ध कराने, समिति की उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय विशिष्ट कारबार करने या सेवाओं के लिए सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी (सीपीपीपी) व्यवस्था के रूप में निजी इकाइयों के साथ भागीदारी अनुंबध करना तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के कतिपय उपबंधों के क्रियान्वयन में अनुभव की गई व्यावहारिक तथा विधिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, यह विनिश्चित किया गया है कि अधियिनम को यथोचितरूप से संशोधित किया जाए.

२. यह प्रस्तावित है कि "प्रशासक" की विद्यमान परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार किया जाए और "सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी" (सीपीपीपी) की नई परिभाषा पुरःस्थापित की जाए. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देते समय सदस्यों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु

हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है. सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और उनकी उपविधियों के संशोधन को सरल बनाने तथा समयबद्ध रीति में किए जाने हेतु उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं. समितियों को वित्तीय रूप से सशक्त करने हेतु सदस्य द्वारा अंश पूंजी में अंशदान बढ़ाने हेतु भी उपबंध किया जा रहा है.

३. रजिस्ट्रार या प्रशासक द्वारा सोसाइटी का प्रभार लेने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है. समयबद्ध रीति में समापन कार्यवाहियों को पूरा करना भी प्रस्तावित है. न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में विभाग के अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करना भी प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ मार्च, २०२५.

विश्वास कैलाश सारंग
भारसाधक सदस्य.

# प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां के प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड ४ के द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के प्रारूप विहित किये जाने,

खण्ड ८ के द्वारा किसी सोसाइटी में सदस्य द्वारा सोसाइटी की कुल अंशपूंजी के एक पंचमांश से अधिक अंश धारण नहीं किये जाने की सीमा निर्धारण किये जाने,

खण्ड ९ के द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को बढ़ाये जाने,

खण्ड १० के द्वारा विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी के प्रशासक की पदावधि को बढ़ाये जाने एवं सोसाइटी के चुनाव करवाने की कालावधि को आगे बढ़ाये जाने,

खण्ड ११ के द्वारा किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाही नियत समय-सीमा में पूर्ण न होने पर उसकी कालावधि को आगे बढ़ाने, एवं

खण्ड १२ के द्वारा राज्य सहकारी अधिकरण में सदस्य के रूप में सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार या उससे उच्च पद पर कार्य कर चुके अधिकारी को सदस्य बनाये जाने,

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## उपाबंध

## मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * *

धारा २- (क-दो) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक अथवा सोसाइटी अथवा सोसाइटी के उसी वर्ग के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा.

(ढ) "गृह निर्माण सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिए भू-खण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ और/या यदि भू-खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिए हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख सुविधाएं और सेवाएं जिसमें गृह निर्माण वित्त पोषण सम्मिलित है, उपलब्ध कराना;

* * * *

धारा ७- (१) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों कें लिए, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की चार-चार प्रतिलिपियां संलग्न होंगी. वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाय, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे.

(२) (ए/क) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम दस ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धारा ६ की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों, और

(बी/ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां न हों, वहां दस अन्य सदस्यों द्वारा या, जब अन्य सदस्य दस से कम हों, तो उन सबके द्वारा, हस्ताक्षरित किया जायेगा.

* * * *

धारा ९- (१) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :

परन्तु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नही किया जायगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

(२) जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देता है, वहां वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा.

(३) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, नब्बे दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएगी.

(४) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा.

* * * *

**धारा ११-** (१) किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिये उस प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी.

(२) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है. तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर उस संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा.

(३) रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा. यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करने का विनिश्चय करता है तो वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि सहकारी साख संरचना के मामले में पूर्वोक्त परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे.

* * * *

**धारा १४-** (१) जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यकरूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है:

परन्तु जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किए गये समझे जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

* * * *

**धारा २४-** किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य-

(ए/क) सोसाइटी की कुल अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय; या

(बी/ख) सोसाइटी के अंशों में बीस हजार रुपये से अधिक-का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना दूवारा, सौसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश-पूंजी के एक पंचमांश से या बीस हजार रुपये से अधिक होगा.

* * * *

**धारा ४६** (७-क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा.

(ख) संचालक मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वतः रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा:

परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशासक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा:

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी.

(घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा :

परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, उस सोसाइटी के संचालक मंडल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए हैं, कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे.

*  *  *  *

**धारा ५३-** (१) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी का संचालक मंडल, -

(क) निरन्तर व्यतिक्रम करता है; या

(ख) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार दवारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए आनंद नहीं है; या

(ग) ऐसे कार्य करता है जो इस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करता है; या

(ङ) किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के गठन में या कृत्यों में कोई गतिरोध है; या

(च) (x x x)

तो रजिस्ट्रार, लिखित में आदेश द्वारा संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो छह मास से अधिक नहीं होगी और सहकारी बैंक की दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगाः

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगीः

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी को-आपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित्र नहीं किया जाएगा अथवा निलम्बित नहीं रखा जावेगा जहां सरकार का कोई अंश न हो अथवा सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता अथवा गारंटी न दी गई हो अथवा सोसाइटी सरकार द्वारा प्रायोजित कारबार करती है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्ततः या पृथकतः उसके कुल कारबार का ५० प्रतिशत से अधिक टर्न ओवर न हो :

परन्तु यह भी कि सहकारी बैंक के मामले मैं, अधिक्रमण का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किए बिना पारित नही किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक से परामर्श करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा :

परन्तु यह और भी कि प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के ३० दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा :

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार के रिजर्व बैंक के अभिमत से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा.

(१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय के आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मंडल कार्यभार ग्रहण न कर ले :

परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मंडल प्रभार ग्रहण करें:

परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निवहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.

परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, उसके कारण दर्शाये जाने पर, कुल एक वर्ष से अनधिक कालावधि के अध्यधीन रहते हुए, एक बार में छह माह से अनधिक के लिए सोसाइटी का निर्वाचन आगे बढ़ा सकेगीः

परन्तु यह और भी कि, सहकारी बैंक के मामले में, प्रशासक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी.

(१३) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि रिजर्व बैंक द्वारा, जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किए जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक

का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिये तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिये कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिये जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.

(ख) प्रशासक की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (३) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा.

* * * *

**धारा ७०** (१) जहां रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिए धारा ६९ के अधीन कोई आदेश किया हो, वहां वह उस प्रयोजन के लिए एक समापक नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा :

परंतु किसी सहकारी बैंक के संबंध में, बैंक का परिसमापन करने तथा उसका परिसमापक नियुक्त करने के लिए रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति से अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर, रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश को किसी भी सहकारी न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जाएगा.

(२) कोई समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी समस्त सम्पत्ति, चीजवस्त तथा उन अनुयोज्य दावों को, जिनके लिए कि सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत होती हो, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजवस्त तथा दावों की हानि या उनके क्षय वा उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह आवश्यक या समीचीन समझे.

(३) (x x x)

(४) जहां किसी सोसायटी के परिसमापन का कोई आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाय, वहां उस सोसायटी की सम्पत्ति, चीजवस्त तथा अनुयोज्य दावे उस सोसायटी में पुनर्निहित हो जायेंगे.

* * * *

**धारा ७७** (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से ज्ञात होने वाले एक अधिकरण का गठन इस प्रयोजन से करेगी कि यह अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐस कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किये जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

(२) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे.

(३) (ए/क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो.

(बी/ख) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा जो संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आन्दोलन से घनिष्ठतः सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा जिसे सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो:

परन्तु राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से हो सकेगा.

**स्पष्टीकरणः** इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो.

(४) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दशा में निरहित होगा जबकि वह किसी सोसायटी की संचालक मंडल का, जो कि किसी सोसायटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, सदस्य हो.

(५) (ए/क) अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सामान्यतः कम से कम दो वर्ष की और अधिक से अधिक पांच वर्ष की काल्लावधि तक के लिए, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे.

(बी/ख) कोई व्यक्ति, जिसने खण्ड (ए) में उल्लिखित की गई कालावधि तक के लिए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(सी/ग) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(डी/घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद, नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो कि अधिकरण में की उसकी स्थिति से असंगत न हो.

(६) उपधारा (४) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने के लिए असमर्थ या अयोग्य हो:

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो.

(७) (ए/क) यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जायगी जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो.

(बी/ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (१) के अधीन भरी न जाय, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

(८) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाय.

(९) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो:

परन्तु किसी अन्तर्वर्ती आवेदन की सुनवाई एक या अधिक सदस्यों द्वारा, जो कि उपस्थित हों, की जा सकेगी.

(१०) ऐसे न्यायपीठो में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे.

(११) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाय, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा. जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाय और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर-बराबर बंटे हुए हों, वहां, यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो, अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित किया जायगा,

(१२) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनियम विरचित करेगा जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत हों.

(१३) उपधारा (१२) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे.

(१४) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन-पत्र, प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किये गये किसी विनिश्चय या पारित किये गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा. यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत समझे.

(१५) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्‌देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तवर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधा पूर्ण प्रतीत हों, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

(१६) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विल्लोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(१७) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५ सन १९०८) की धारा ९७ तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची में के आदेश ४१ द्वारा प्रदत्त की गई हैं.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.